

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:- लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या:-242/2021

एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि० (पूर्व नाम एयू फाईनेंसर्स (इण्डिया) लि०) रजि० कार्यालय 19-ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर- 302001, राज० जरिये प्राधिकृत अधिकारी महिपाल सिंह पुत्र छितरमल उम्र 38 साल

— प्रार्थी बैंक

बनाम

1. बजरंग लाल पुत्र धर्मपाल शर्मा, उम्र 39 साल, निवासी मकान नं० 70, गांव घूलवा, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं, पिन कोड 333033
Also At- बजरंग लाल प्रोपर्टी पट्टा नं० 3, संकल्प सं० 3, गांव धूलवा, पंचायत समिति व तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं।
2. श्रीमती अनिता पत्नि बजरंग लाल, उम्र 33 साल, निवासी मकान नं० 70, वार्ड नं० 10, गांव घूलवा, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं।
3. संदीप कुमार पुत्र रणवीर सिंह, उम्र 37 साल, निवासी वार्ड नं० 13, मनोहरपुरा, गांव घूलवा, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं।

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ०धारा 14 सिक्यूरिटाईजेशन एक्ट 2002

उपस्थित:-

1. एडवोकेट श्री मनोज कुमार वर्मा- प्रार्थी बैंक की ओर से उपस्थित।
2. एडवोकेट श्री राजेन्द्र सिंह निर्वाण - अप्रार्थीगण सं० 1 व 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं० 3 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 16.11.2022

प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि० के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि० द्वारा ऋणी/अप्रार्थीगण के पक्ष में उनके आवेदन पर क्रेडिट सुविधा/वित्तीय सुविधा/टर्म लोन (बिजनेस/कंस्ट्रक्शन लोन) के पेटे 3,50,000/-रुपये अक्षरे तीन लाख पचास हजार रूपये की ऋण सुविधा खाता सं० L9001060114031781 दिनांक 10.01.2018 स्वीकृत की गयी थी। इस हेतु ऋणी/जमानतदारों ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे। उक्त ऋणी राशि प्रतिभूति करार के तहत निम्न प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है- अचल संपत्ति प्रोपर्टी एट आवासीय भूमि का पट्टा नं० 3, बुक नम्बर 43, संकल्प नं० 3, गांव धूलवा, पंचायत समिति व तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं नपति वर्ग गज अप्रार्थी बजरंग लाल के मालिकाना हक की है एवं जिसकी चौहदी निम्न प्रकार से है-

पूरब में	मकान भागीरथ सिंह	पश्चिम में	रास्ता
उतर में	रास्ता	दक्षिण में	मकान हनुमान शर्मा


जिला कलक्टर झुंझुनूं

अप्रार्थीगण के द्वारा समय पर ऋण व ब्याज चुकाने में चूक करने पर ऋणी के खाते को प्रार्थी बैंक द्वारा दि० 11.01.2021 को (NPA) अनर्जक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। प्रार्थी बैंक द्वारा मांग नोटिस दि० 07.07.2021 द्वारा अं० धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन एक्ट 2002 के तहत प्रेषित कर 60 दिवस के बकाया ऋण राशि 3,59,0328/रूपये अक्षरे तीन लाख उनसठ हजार बतीस रूपये मय ब्याज व खर्चा दिनांक 11.01.2021 से भुगतान करने की मांग की। श्रीमान को उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रतिभूति आस्ति को अपने कब्जे/नियंत्रण में लेकर प्रतिभूति लेनदार बैंक को सुपर्द करने का अधिकार प्राप्त है। उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करना अति आवश्यक है, जिससे उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। गिरवीकृत संपत्ति जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार में अवस्थित है— अचल संपत्ति प्रोपर्टी एट आवासीय भूमि का पट्टा नं० 3, बुक नम्बर 43, संकल्प नं० 3, गांव धूलवा, पंचायत समिति व तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू नपति 63.33 वर्ग गज अप्रार्थी बजरंग लाल के मालिकाना हक की है एवं जिसकी चौहदी निम्न प्रकार से है—

पूरब में	मकान भागीरथ सिंह	पश्चिम में	रास्ता
उतर में	रास्ता	दक्षिण में	मकान हनुमान शर्मा

उक्त गिरवीकृत संपत्ति पर आज दिनांक तक उक्त कार्यवाही करने के लिए किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा रोक नहीं है। प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि गिरवीकृत सम्पत्ति को रहने वालो से खाली करवा कर भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानानुसार सम्पत्ति से बकाया ऋण की वसूली की जा सके।


बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक का ऋण नहीं चुकाया गया है। अप्रार्थी को प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार एन०पी०ए० घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

वकील अप्रार्थीगण सं० 1 व 2 ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण वर्तमान मे बीमार है। अप्रार्थीगण को बकाया ऋण चुकाने हेतु समय प्रदान किया जावे।

अप्रार्थी सं० 3 बावजूद नोटिस तामिल उपस्थित नहीं। अप्रार्थी सं० 3 के विरुद्ध एकतरफा बहस सुनी गई।


हमने प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि० द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि० द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि० की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि० द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को


जिला कलेक्टर झुंझुनू

अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि० की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि० के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें हैं। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि० द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्वोरिटाईजेशन एण्ड रिक्न्स्ट्रकशन ऑफ फाईनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्वोरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई सम्पत्ति अप्रार्थी सं० 1 बजरंग लाल के मालिकाना हक की अचल संपत्ति प्रोपर्टी एट आवासीय भूमि का पट्टा नं० 3, बुक नम्बर 43, संकल्प नं० 3, गांव धूलवा, पंचायत समिति व तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू नपति 63.33 वर्ग गज स्थित भूमि व निर्मित सम्पत्ति का पजेशन प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि० को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि० के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 16.11.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 (एल०एस०कुडी)
 जिला कलक्टर एवं
 जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

आदेश

दिनांक, 16.11.2022

प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि० के अधीनस्थ तथा परतुत प्रभावित पत्र के अन्तर्गत प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि० द्वारा ऋणी/अप्रार्थीगण के पत्र में प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि० द्वारा प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि० के ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि० द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्वोरिटाईजेशन एण्ड रिक्न्स्ट्रकशन ऑफ फाईनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्वोरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई सम्पत्ति अप्रार्थी सं० 1 बजरंग लाल के मालिकाना हक की अचल संपत्ति प्रोपर्टी एट आवासीय भूमि का पट्टा नं० 3, बुक नम्बर 43, संकल्प नं० 3, गांव धूलवा, पंचायत समिति व तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू नपति 63.33 वर्ग गज स्थित भूमि व निर्मित सम्पत्ति का पजेशन प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि० को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि० के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि०	परतुत में	जिला
अप्रार्थी सं० 1 बजरंग लाल	दंडीय में	मकान नं० ३३३